

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**  
**:: मंत्रालय ::**  
**महानदी भवन, नया रायपुर - 492002**  
**// आदेश //**

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-62/2017/सत्रह/एक (1) :::: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित चिकित्सा विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 5 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता हूँ :-

क्र.	चिकित्सक का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	2	3	4	5	6
1	डॉ. एन.पी. मिश्रा	चिकित्सा अधिकारी	सामु. स्वा. केन्द्र डभरा, जिला जांजगीर चांपा	चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा	प्रशासनिक
2	डॉ. अंकित पालीवाल	चिकित्सा अधिकारी	पीएचसी कुदमुरा जिला कोरबा	सामु. स्वा. केन्द्र बम्हनीडीह जिला जांजगीर	प्रशासनिक
3	डॉ. नारायण साहू	चिकित्सा अधिकारी	सी.एच.सी. बिलाईगढ़ जिला बलोदबजार	सामु. स्वा. केन्द्र बसना, जिला महासमुंद	प्रशासनिक
4	डॉ. गीता मिश्रा	चिकित्सा अधिकारी	प्राथ. स्वा. केन्द्र सिरसिदा जिला बालोद	सामु. स्वा. केन्द्र देवरीबंगला, जिला बालोद	प्रशासनिक
5	डॉ. जार्ज जीवन लकड़ा	चिकित्सा अधिकारी	मु.चिकि.स्वा.अधि. जशपुर	चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा	प्रशासनिक
6	डॉ. संजय नवल	चिकित्सा अधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लखनपुरी जिला कांकेर	सामु. स्वा. केन्द्र, सेक्टर 29, नया रायपुर, जिला रायपुर	प्रशासनिक
7	डॉ. नितिश साव	चिकित्सा अधिकारी	सामु. स्वा. केन्द्र सुरेगांव, जिला बालोद	जिला चिकि. बालोद जिला बालोद	प्रशासनिक
8	डॉ. एन.के. साहू	चिकित्सा अधिकारी	खण्ड चिकित्सा अधिकारी नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा	सामु. स्वा. केन्द्र लैलुंगा जिला रायगढ़	प्रशासनिक
9	डॉ. नवीन अग्रवाल	चिकित्सा अधिकारी	सिविल हॉस्पिटल खरसिया (100 शैया)	शहरी प्राथ. स्वा. केन्द्र रामभाठा रायगढ़	प्रशासनिक


2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।

*U. Talwar*

//2//

- 3/ यदि उपरोक्त स्थानान्तरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी, अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानान्तरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।
- 4/ उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 5/ उपरोक्त स्थानान्तरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(एम.एल. ताम्रकार)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1- 62/2017/सत्रह/एक (1)

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
  02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
  03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
  04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
  05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
  06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
  07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
  08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
  09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
  10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
  11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
  12. संबंधित डॉ०..... की ओर
- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. स्टाक फाईल।

  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**  
**:: मंत्रालय ::**  
**महानदी भवन, नया रायपुर - 492002**  
**// आदेश //**

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-62/2017/सत्रह/एक (2) ::: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित चिकित्सा विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 5 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता हूँ :-

क्र.	चिकित्सक का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	2	3	4	5	6
1	डॉ. जे.आर. सरुता	चिकित्सा अधिकारी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विश्रामपुर जिला सूरजपुर	चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा	प्रशासनिक
2	डॉ. महेन्द्र कुमार शर्मा	चिकित्सा अधिकारी	ए आर टी सेंटर जिला चिकित्सालय दुर्ग	सामु. स्वा. केन्द्र नरहरपुर जिला कांकेर	प्रशासनिक
3	डॉ० नवीन पहारी	चिकित्सा अधिकारी	प्राथम्य स्वा केन्द्र लिगियाडीह जिला बिलासपुर	सामु. स्वा. केन्द्र बिल्हा, जिला बिलासपुर	प्रशासनिक
4	डॉ. एस. एन. चौबे	चिकित्सा अधिकारी	जिला चिकित्सालय कांकेर	जिला चिकित्सालय बेमेतरा	प्रशासनिक
5	डॉ. शुभा गरेवाल	चिकित्सा अधिकारी	सामु. स्वा. केन्द्र बिल्हा जिला बिलासपुर	जिला चिकित्सालय बिलासपुर (विशेषज्ञ पद विरुद्ध)	प्रशासनिक
6	डॉ. आस्था मिश्रा	चिकित्सा अधिकारी	बैजलपुर, वि.ख. बोड़ला जिला कबीरधाम	शहरी प्राथ. स्वा. केन्द्र बिलासपुर	प्रशासनिक
7	डॉ. अखिलेश देवांगन	शिशुरोग विशेषज्ञ एमडी	जिला चिकित्सालय कांकेर	जिला चिकित्सालय धमतरी	प्रशासनिक
8	डॉ. रमेश कुमार खुंटे	विशेषज्ञ चिकित्सक	स्पेशलाईज्ड थेरेपी सेंटर सामु. स्वा. केन्द्र पथलगांव जिला जशपुर	जिला चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला सरगुजा	प्रशासनिक

2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।

*W. J. J.*

- 3/ यदि उपरोक्त स्थानान्तरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी, अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानान्तरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।
- 4/ उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 5/ उपरोक्त स्थानान्तरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(एम.एल. ताम्रकार)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग



पृ0क्रमांक एफ 1- 62/2017/सत्रह/एक (2)

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017


प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित डॉ0.....

..... की ओर

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टाक फाईल।

  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग



**छत्तीसगढ़ शासन**  
**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**  
**:: मंत्रालय ::**  
**महानदी भवन, नया रायपुर - 492002**  
**//आदेश//**

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-62/2017/सत्रह/एक (3) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित चिकित्सा विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 5 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता हूँ :-

क्र.	चिकित्सक का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	2	3	4	5	6
1	डॉ. ललित कुमार अग्रवाल	चिकित्सा अधिकारी	केंद्रीय जेल अंबिकापुर	जिला चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा	प्रशासनिक
2	डॉ. प्रीति वैष्णव	चिकित्सा अधिकारी	सामु. स्वा. केन्द्र डोंगरगांव जिला राजनांदगांव	सिविल अस्पताल खैरागढ़, जिला राजनांदगांव	प्रशासनिक
3	डॉ. कृपाशंकर राय	चिकित्सा अधिकारी	सामु. स्वा. केन्द्र आरंग जिला रायपुर	सामु. स्वा. केन्द्र नवागढ़ जिला बेमेतरा	प्रशासनिक
4	डॉ. नीला कुम्हारे	चिकित्सा अधिकारी	जिला चिकित्सालय बीजापुर	जिला चिकित्सालय जशपुर	प्रशासनिक
5	डॉ. महेश सांडिया	चिकित्सा अधिकारी	जिला चिकित्सालय बीजापुर	सामु. स्वा. केन्द्र तोकापाल, जिला बस्तर	प्रशासनिक
6	डॉ. उत्तरा कंवर	चिकित्सा अधिकारी	सीएचसी लोईग जिला रायगढ़	जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा	प्रशासनिक
7	डॉ. डी.के. कश्यप	चिकित्सा अधिकारी	जिला चिकित्सालय कांकेर	जिला चिकित्सालय नारायणपुर	प्रशासनिक
8	डॉ. चन्द्रशेखर डडसेना	चिकित्सा अधिकारी	प्राथ. स्वा. केन्द्र, लाफा, जिला कोरबा	सामु. स्वा. केन्द्र चपले, जिला रायगढ़	प्रशासनिक


- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानान्तरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी, अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानान्तरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

*U. Talwar*

// 2 //

- 4/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(एम.एल. ताम्रकार)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1- 62/2017/सत्रह/एक (3)

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित डॉ०.....

..... की ओर

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टाक फाईल।

  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**  
**:: मंत्रालय ::**  
**महानदी भवन, नया रायपुर - 492002**  
**// आदेश //**

नया रायपुर, दिनांक 12-अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-62/2017/सत्रह/एक (4) :::: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित चिकित्सा विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 5 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता हूँ :-

क्र.	चिकित्सक का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	2	3	4	5	6
1	डॉ. अनुपमा धनंजय	चिकित्सा अधिकारी	प्राथ स्वा केन्द्र चंदखुरी जिला रायपुर	सामु. स्वा. केन्द्र खरोरा जिला रायपुर	स्वयं के व्यय
2	डॉ. मिथिलेश कुमार मरकाम	पैथालाजिस्ट	जिला चिकित्सालय नारायणपुर	जिला चिकित्सालय कांकेर	स्वयं के व्यय
3	डॉ. श्रीमती रेणुका प्रसन्नो	चिकित्सा अधिकारी	प्राथ. स्वा. केन्द्र गुरेदा, जिला बालोद	जिला चिकि. बालोद जिला बालोद	स्वयं के व्यय
4	डॉ. श्रीमति कुन्ती ठाकुर	चिकित्सा अधिकारी	सी एच सी साजा जिला बेमेतरा	जिला चिकित्सालय दुर्ग	स्वयं के व्यय
5	डॉ. संतराम सिदार	चिकित्सा अधिकारी	सी.एच.सी. बसना जिला महासमुंद	सामु. स्वा. केन्द्र सक्ती जिला जांजगीर	स्वयं के व्यय
6	डॉ० हरीश कुमार चौहान	चिकित्सा अधिकारी	सी.एच.सी. गरियाबंद जिला गरियाबंद	जिला चिकित्सालय जांजगीर	स्वयं के व्यय
7	डॉ. प्रेम सिंह मार्को	विशेषज्ञ शिशु रोग	सी.एच.सी. सीतापुर जिला सुरगुजा	सामु. स्वा. केन्द्र रतनपुर, जिला बिलासपुर	स्वयं के व्यय
8	डा. पुष्पलता सिंह	चिकित्सा अधिकारी	कोरबा	जिला चिकित्सालय मुंगेली	स्वयं के व्यय
9	डॉ. श्रीमती मंजू एकका	चिकित्सा अधिकारी	सरगुजा	सामु. स्वा. केन्द्र मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया	स्वयं के व्यय
10	डॉ. कृष्ण कुमार सिदार	चिकित्सा अधिकारी	प्रभारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामु. स्वा. केन्द्र मालखरौदा जिला जांजगीर चांपा	सामु. स्वा. केन्द्र सक्ती जिला जांजगीर चांपा (विशेषज्ञ पद विरुद्ध)	स्वयं के व्यय

2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।

*Ujala*

- 3/ यदि उपरोक्त स्थानान्तरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी, अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानान्तरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।
- 4/ उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 5/ उपरोक्त स्थानान्तरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

*W. Jais*  
(एम.एल. ताम्रकार)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1-- 62/2017/सत्रह/एक (4)

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित डॉ०.....

..... की ओर  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टाक फाईल।

*W. Jais*  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग



**छत्तीसगढ़ शासन**  
**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**  
**:: मंत्रालय ::**  
**महानदी भवन, नया रायपुर - 492002**  
**// आदेश //**

नया रायपुर, दिनांक 12-अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-62/2017/सत्रह/एक (5) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित चिकित्सा विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 5 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता हूँ :-


क्र.	चिकित्सक का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	2	3	4	5	6
1	डॉ० विजय सिंह प्रधान	चिकित्सा अधिकारी	सी.एच.सी. भैनपाट जिला सुरगुजा	मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर, जिला सरगुजा	स्वयं के व्यय
2	डॉ. अरुण कुमार टोण्डर	शल्य क्रिया विशेषज्ञ	जिला अस्पताल धममरी	जिला अस्पताल रायपुर	स्वयं के व्यय
3	डॉ. एच.एल. जांगडे	चिकित्सा अधिकारी	प्रा.स्वा.के. बलौदा जिला महासमुंद	सामु. स्वा. केन्द्र तिल्दा, जिला रायपुर (विशेषज्ञ पद विरुद्ध)	स्वयं के व्यय
4	डा०कुमार पुष्पेश	चिकित्सा अधिकारी	पीएचसी फरसवानी जिला कोरबा	सामु. स्वा. केन्द्र करतला जिला कोरबा	स्वयं के व्यय
5	डा० कमलेश कुमार सिंह पोर्ते	चिकित्सा अधिकारी	पीएचसी खरवानी जिला कोरबा	सामु. स्वा. केन्द्र दीपका जिला कोरबा	स्वयं के व्यय
6	डॉ. विजय कुमार अग्रवाल	चिकित्सा अधिकारी	जिला अस्पताल बिलासपुर	चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा	स्वयं के व्यय
7	डॉ. राजीव कुमार सक्सेना	निश्चेतना विशेषज्ञ	जिला चिकित्सालय महासमुंद	जिला चिकित्सालय रायपुर	स्वयं के व्यय
8	डॉ० कमलेश श्रीवास्तव	जिला परिवार कल्याण अधिकारी	कार्यालय सी.एम.एच.ओ. रायपुर	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग के अधीन	स्वयं के व्यय
9	डॉ योगेश्वर	विशेषज्ञ शिशु रोग	सी.एच.सी. लैलूंगा जिला रायगढ़	जिला चिकित्सालय कोरिया	स्वयं के व्यय

2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।

*Ujank*

- 3/ यदि उपरोक्त स्थानान्तरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी, अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानान्तरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।
- 4/ उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 5/ उपरोक्त स्थानान्तरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(एम.एल. ताम्रकार)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1- 62/2017/सत्रह/एक (5)

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित डॉ0.....

..... की ओर

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टाक फाईल।

  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**  
**:: मंत्रालय ::**  
**महानदी भवन, नया रायपुर - 492002**  
**// आदेश //**

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-62/2017/सत्रह/एक (6) :::: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित चिकित्सा विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 5 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता हूँ :-


क्र.	चिकित्सक का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	2	3	4	5	6
1	डॉ. विमल चन्द्र पैकरा	चिकित्सा अधिकारी	सी.एच.सी. भैयाथान	जिला चिकित्सालय संबद्ध मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर जिला सरगुजा	स्वयं के व्यय
2	डॉ. अलखनंदा तिर्की	चिकित्सा अधिकारी	कोरबा	जिला चिकित्सालय संबद्ध मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर जिला सरगुजा	स्वयं के व्यय
3	डॉ. ब्रजमोहन सिंह कामरे	चिकित्सा अधिकारी	सी.एच.सी. प्रेमनगर	प्राथ. स्वा. केन्द्र केदमा जिला सरगुजा	स्वयं के व्यय
4	डॉ रजनी किशोरी एक्का	चिकित्सा अधिकारी	पीएचसी कमलपुर	जिला चिकित्सालय संबद्ध मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर जिला सरगुजा	स्वयं के व्यय
5	डॉ. स्नेह लता तिर्की	चिकित्सा अधिकारी	सी.एच.सी. सीतापुर	जिला चिकित्सालय संबद्ध मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर जिला सरगुजा	स्वयं के व्यय
6	डॉ लोकीनाथ महिंगलेश्वर	चिकित्सा अधिकारी	प्राथ. स्वा. केन्द्र संबलपुर	सामु. स्वा. केन्द्र सरगांव, जिला मुंगेली	स्वयं के व्यय
7	डॉ० दीपक कुमार मिरे	चिकित्सा अधिकारी	सी.एच.सी. कांसाबेल	सामु. स्वा. केन्द्र पंडरिया, जिला कवर्धा	स्वयं के व्यय

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानान्तरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी, अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानान्तरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

*W. J. J. J.*

- 4/ उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 5/ उपरोक्त स्थानान्तरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(एम.एल. ताम्रकार)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1- 62/2017/सत्रह/एक (6)

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित डॉ०.....

..... की ओर

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टाक फाईल।

  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग



**छत्तीसगढ़ शासन**  
**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**  
**:: मंत्रालय ::**  
**महानदी भवन, नया रायपुर - 492002**  
**// आदेश //**

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017


क्रमांक एफ 1-62/2017/सत्रह/एक (7) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित चिकित्सा विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 5 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता हूँ :-

क्र.	चिकित्सक का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापवना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	2	3	4	5	6
1	डॉ. शैलेन्द्र कुमार	चिकित्सा अधिकारी	सी.एच.सी. गंगलूर	सामु. स्वा. केन्द्र फरसगांव जिला कोंडागांव	प्रशासनिक
2	डॉ. संजय कुमार बघेल	चिकित्सा अधिकारी	दन्तेवाड़ा	सामु. स्वा. केन्द्र बस्तर, जिला बस्तर	प्रशासनिक
3	डॉ. देवेन्द्र कुमार बिसेन	चिकित्सा अधिकारी	धमतरी	जिला चिकित्सालय कोण्डागांव	प्रशासनिक
4	डॉ. राम सेवक मरकाम	चिकित्सा अधिकारी	बलरामपुर	जिला चिकित्सालय संबद्ध मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर जिला सरगुजा	प्रशासनिक
5	डॉ. विजय अग्रवाल	चिकित्सा अधिकारी	बलरामपुर	जिला चिकित्सालय संबद्ध मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर जिला सरगुजा	प्रशासनिक
6	डॉ. सुरेन्द्र पैकरा	चिकित्सा अधिकारी	कोरिया	सामु. स्वा. केन्द्र प्रेमनगर, जिला सूरजपुर	प्रशासनिक
7	डॉ. के.पी. चन्द्राकर	चिकित्सा अधिकारी	प्राथ. स्वा. केन्द्र कलंगपुर, जिला बालोद	सामु. स्वा. केन्द्र गुंडरदेही, जिला बालोद	प्रशासनिक
8	डॉ० अभिषेक श्रीवास्तव	चिकित्सा अधिकारी	प्राथ. स्वा. केन्द्र माहुद बी, जिला बालोद	सामु. स्वा. केन्द्र देवरीबंगला, जिला बालोद	प्रशासनिक
9	डॉ. नारायण लाल बंजारे	चिकित्सा अधिकारी	प्राथ. स्वा. केन्द्र सरदिया, जिला बालोद	सामु. स्वा. केन्द्र, गुरुर जिला बालोद	प्रशासनिक
10	डॉ० गीता मिश्रा	चिकित्सा अधिकारी	प्राथ. स्वा. केन्द्र सरदिया, जिला बालोद	सामु. स्वा. केन्द्र, गुरुर जिला बालोद	प्रशासनिक
11	डॉ. समता भवतमांगे	चिकित्सा अधिकारी	प्राथ. स्वा. केन्द्र भरदाकला, जिला बालोद	जिला अस्पताल बेमेतरा	प्रशासनिक
12	डॉ. अनिल कुमार शुक्ल	चिकित्सा अधिकारी	प्राथ. स्वा. केन्द्र कुरदी, जिला बालोद	सामु. स्वा. केन्द्र, गुरुर जिला बालोद	प्रशासनिक

*Wanka*

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी, अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानांतरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।
- 4/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(एम.एल. ताम्रकार)  
अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग


पृ0क्रमांक एफ 1- 62/2017/सत्रह/एक (7)

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित डॉ०..... की ओर  
..... सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. स्टाक फाईल।

  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  


**छत्तीसगढ़ शासन**  
**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**  
**:: मंत्रालय ::**  
**महानदी भवन, नया रायपुर - 492002**  
**// आदेश //**

नया रायपुर, दिनांक/2 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-62/2017/सत्रह/एक (8) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित चिकित्सा विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 5 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :-

क्र.	चिकित्सक का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापवना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	2	3	4	5	6
1	डॉ. रनिता रानी सिंग	चिकित्सा अधिकारी	प्राथ. स्वा. केन्द्र खुरसूरी, जिला बालोद	सामु. स्वा. केन्द्र, गुरुर जिला बालोद	प्रशासनिक
2	डॉ. एन.सी. लांगे	चिकित्सा अधिकारी	सामु. स्वा. केन्द्र देवरीबंगला, जिला बालोद	जिला अस्पताल बालोद	प्रशासनिक
3	डॉ. अनिता मिंज	चिकित्सा अधिकारी	सामु. स्वा. केन्द्र, पथलगांव जिला जशपुर	जिला अस्पताल जशपुर	प्रशासनिक
4	डॉ. मनोज कुमार राठौर	चिकित्सा अधिकारी	सामु. स्वा. केन्द्र जैजेपुर, जिला जांजगीर	जिला अस्पताल जांजगीर-चांपा	प्रशासनिक
5	डॉ. ए.के. मिश्रा	चिकित्सा अधिकारी	जिला अस्पताल बालोद	जिला अस्पताल महासमुंद	प्रशासनिक
6	डॉ. एस.एन. गुप्ता	चिकित्सा अधिकारी	सामु. स्वा. केन्द्र मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया	जिला अस्पताल बलरामपुर	प्रशासनिक
7	डॉ. अल्पना अग्रवाल	चिकित्सा अधिकारी	सामु. स्वा. केन्द्र उतई जिला दुर्ग	जिला अस्पताल कबीरधाम	प्रशासनिक
8	डॉ. संगीता भाटिया	चिकित्सा अधिकारी	जिला अस्पताल दुर्ग	जिला अस्पताल महासमुंद	प्रशासनिक
9	डॉ. कृष्णभान सिंह	चिकित्सा अधिकारी	जिला चिकित्सालय जांजगीर चांपा	सामु. स्वा. केन्द्र करतला, जिला कोरबा	प्रशासनिक
10	डॉ. जी.एल. टण्डन	चिकित्सा अधिकारी	छुरा, जिला गरियाबंद	सामु. स्वा. केन्द्र आरंग, जिला रायपुर	प्रशासनिक


- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी, अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानांतरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

*U. Talwar*

//2//


- 4/ उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 5/ उपरोक्त स्थानान्तरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(एम.एल. ताम्रकार)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1- 62/2017/सत्रह/एक (8)

  
नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित डॉ0.....

की ओर

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टाक फाईल।

  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

